

त्रिभाषा फार्मूला

1958. श्री श्रींकार लाल बेरवा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्यों ने त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) बाकी राज्यों द्वारा उक्त फार्मूले को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० शारदा) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर, जिन्होंने भाषा के प्रश्न पर 1956 में विस्तृत विचार किया था त्रिभाषा सूत्र तैयार किया गया था। राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की श्रमस्त, 1961 में हुई बैठक में इस सूत्र को मरन बनाया गया तथा इसे राज्यों में लागू करने के लिये स्वीकृति दी गई थी। तथापि तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने जनवरी, 1968 से राज्य स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र को समाप्त कर दिया, जो कि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में था।

हरियाणा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय के राज्य, जोकि मुख्य मंत्रियों की उपर्युक्त बैठक के बाद अस्तित्व में आए थे, त्रिभाषा सूत्र को लागू कर रहे हैं। त्रिपुरा स्कूल स्तर पर पश्चिम बंगाल की शिक्षा पद्धति को लागू कर रहे हैं तथा नागालैंड की वर्तमान स्थिति का पता लगया जा रहा है। सिक्किम राज्य ने अपनी भाषा नीति अभी तैयार नहीं की है।

कुछ राज्यों ने सूत्र को कार्यान्वित करने में मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की 1961 में हुई बैठक में पारित

किये गये त्रिभाषा सूत्र में, जिसे 1968 में संसद् में भाषा संबंधी संकल्प में पुनः निमित्त किया गया था, कुछ संशोधन किये हैं जिनकी वर्तमान मात्रा की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

ग्रालू निगम

1959. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रालू के मूल्यों में भासी गिरावट के कारण ग्रालू के उत्पादक किसानों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों को उजड़ने से बचाने के लिए ग्रालू का समर्थन मूल्य निर्धारित कराने तथा ग्रालू निगम को स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) सरकार का विचार ग्रालू उत्पादकों के हितों की किम प्रकार रक्षा करने का है ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ग्रालू पैदा करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने नीचे लिखे उपाय किए हैं।

(1) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विभाग संघ को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने लगभग 45 रुपये प्रति किबंटस के